सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2023

इटावा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000/- रुपये का इनामिया शातिर लूटेरे को पुलिस मुठभेड मे किया गया गिरफ्तार ,

कब्जे अवैध तमंचा,खोखा व जिंदा कारतूस किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एव आगामी त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 29.08.2023 की रात्रि को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना चौपुला चौराहे के पास पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ऊसराहार की ओर से आ रहे अपाचे सवार 02 व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो मुडकर तेजी से भागने लगे। अपने आपकों पुलिस टीम से घिरता देख अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी। पुलिस मुठभेड के दौरान **अभियुक्त पिंकल यादव पुत्र भजन लाल** को घायल अवस्था मे **अवैध तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस सहित समय 22.32 बजे** गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत है। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे **थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 107/23 धारा 307 भादवि** व **मु0अ0सं0 108/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया है।

घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 वन प्लस मोबाइल बरामद किये गये तथा पूछताछ करने पर बताया कि वह जनपद कन्नौज के थाना सौरिख से गैंगस्टर एक्ट में वांछित तथा 10,000 रुपये का इनामिया है। आज अपने साथी के साथ मिलकर लूट करने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

पिंकल यादव पुत्र भजन लाल निवासी ग्राम बिजनौरा थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र 21 वर्ष।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
4. 01 अपाचे मोटरसाइकिल (UP 74 AH 5476 घटना मे प्रयुक्त)
5. 01 वन प्लस मोबाइल

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 107/23 धारा 307 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 108/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

पिंकल यादव पुत्र भजन लाल

1. मु0अ0स0 533/2020 धारा 392/411 भादवि थाना सौरिख जनपद कन्नौज।
2. मु0अ0स0 14/2021 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 154/21 धारा 3(1)30प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा
4. मु0अ0स0 359/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम थाना सौरिख जनपद कन्नौज
5. मु0अ0सं0 107/2023 धारा 307 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 108/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री मंसूर अहमद थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 मुकुन्द लाल यादव, उ0नि0 दर्शन सिंह, का0 विकास साहू, का0 पुष्पेन्द्र, का0 रवि पवार, का0 का0 आशीष, का0 अंकुर, का0 चा0 धर्मेन्द्र।